

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

फैक्स/ईमेल पत्रांक - प्र04/उ0न्या0- 02/2014(खण्ड)- 3209 खाद्य, पटना/दिनांक-17.04.15

न्यायालय मामला/
महत्वपूर्ण
सेवा में,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, पटना।

विषय :- CWJC No. 1186/2013 पवन साव उर्फ पवन कुमार साह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित ओदश के अनुपालन में अधिग्रहणवाद संख्या- 270/2011 राज्य सरकार बनाम पवन साव में शीर्ष-R0070011020001 में जमा राशि कुल 7,13,563/- (सात लाख तेरह हजार पाँच सौ तिरसठ) रुपया मात्र की विमुक्ति एवं निकासी की स्वीकृति।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक जिला पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक- 187/आ0 दिनांक- 25.06.2014 पर पूर्व विचारोपरान्त शीर्ष-R0070011020001 में जमा राशि कुल 7,13,563/- (सात लाख तेरह हजार पाँच सौ तिरसठ) रुपया मात्र की विमुक्ति एवं निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी मुख्यशीर्ष- 00700-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्यशीर्ष-01-न्याय प्रशासन, लघु शीर्ष- 900- घटाएँ-वापसियाँ, उप शीर्ष-0001- अनापेक्षित जमा राशि की वापसी विपत्र कोड-R007001900-0001 विषय शीर्ष- 00 01 प्राप्तियों के अन्तर्गत विकलनीय होगी।


3. अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जाएगी।

4. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक - प्र04/उ0न्या0- 02/2014(खण्ड)-3209 खाद्य, पटना/दिनांक- 17.04.15
प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र04/उ0न्या0- 02/2014(खण्ड)-3209 खाद्य, पटना/दिनांक- 17.04.15
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, जमुई/अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र04/उ0न्या0- 02/2014(खण्ड)-3209 खाद्य, पटना/दिनांक- 17.04.15
प्रतिलिपि- श्री पवन साव, पिता- श्री नरसिंह साव, पुरानी बाजार, नगर परिषद, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।